दर्शन सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

अतार सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

भारत संघ-मध्यस्थ

[पतंजलि शास्त्री सी. जे., मुखर्जी, चंद्रशेखर अय्यर, विवियन बोस और गुलाम हसन जे.जे]

पूर्वी पंजाब सूती कपड़ा और सूत आदेश, 1947-बिना अनुज्ञप्ति के आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रांतीय कानून-वैधता-आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946, धाराए 3 और 4 - "व्यापार और वाणिज्य", का अर्थ-चाहे इसमें निर्यात शामिल हो-कानूनों का निर्माण-अधिनियमों का समग्र रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

भारतीय विधानमंडल द्वारा 1946 में पारित आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3, केंद्र सरकार को अधिसूचित आदेश द्वारा किसी भी आवश्यक वस्तु और उसमें व्यापार और वाणिज्य के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित और प्रतिबंधित

करने के लिये सशक्त करती है। अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को उसकी धारा 3 के तहत शक्तियों को प्रांतीय सरकार या किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त करती है ।

पंजाब के राज्यपाल जिन्हे धारा 4 के तहत ऐसी शक्तिया प्रत्यायोजित की गयी थी, ने पूर्वी पंजाब का सूती कपड़ा पहना और सूत नियंत्रण आदेश, 1947, पारित किया जिसने अनुज्ञप्ति के बिना भारत के बाहर किसी भी देश मे सूती कपड़े और धागे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और अनुज्ञप्ति के बिना निर्यात को अपराध बना दिया।

इस आदेश की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि राज्यपाल ने बिना अनुज्ञप्ति के भारत के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अपनी शक्तियों से परे काम किया था।

अभिनिर्धारित किया गया कि (i) आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1946 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ के आलोक में "व्यापार और वाणिज्य" शब्दों को देखने और पढ़ने में इन शब्दों को प्रांत के बाहर एक पड़ोसी विदेशी राज्य को सम्मिलित माल के निर्यात सहित माना जा सकता है। आक्षेपित आदेश पारित करने में

राज्यपाल ने उसे प्रत्यायोजित की गई शक्तियों से परे कार्य नहीं किया है।

(ii) चूंकि केंद्रीय विधानमंडल भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत निर्यात और आयात पर कानून बनाने और उससे संबंधित कोई भी

प्रावधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था, इसलिए उसे भारत (केंद्र सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 (9 और 10 जीईओ। VI, c. 39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अलावा किसी विदेशी राज्य को निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाने की शक्ति थी।

(iii) यहां तक कि कानून को पूरी तरह से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति के प्रांतीय विषयों पर लेते हुए भी, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के सहायक के रूप में आयात पर प्रतिबंध ऐसे कानून के क्षेत्र और परिधि में होगा। सार और तत्व में अधिनियम इन प्रांतीय मामलों से विशेष रूप से निपटने पर होगा।

यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा विधायिका के इरादे का सही निक्षेपागार है, और किसी कानून में आने वाले शब्दों और वाक्यांशों को संदर्भ से अलग करके अलग अलग तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि उन्हे अधिनियम के उद्देश्य और अंतर्वस्तु के आलोक मे साथ मे लिया जाना चाहिए।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रकरण संख्या 11 और 12 / 1950

पंजाब राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र शिमला (खोसला जे.) के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 11 और 12 / 1949 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05 अप्रैल 1950 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132(1) के तहत अपील।

अछरु राम (गोपाल सिंह, उनके साथ) प्रकरण संख्या 11 के अपीलार्थी के लिए,

एच. जे. उमरीगर, प्रकरण संख्या 12 के अपीलार्थी के लिए

एस. एम. सीकरी (पंजाब के महाधिवक्ता) (एच. एस. गुजराल, उनके साथ) पंजाब राज्य

प्रत्यर्थी के लिए ।

एम. सी. सीतलवाड़ (भारत के महान्यायवादी) (बी. सेन, उसके साथ) हस्तक्षेपकर्ता के लिए।

5 दिसंबर 1952, न्यायालय का निर्णय मुखर्जी न्यायाधिपति द्वारा दिया गया-

इन दोनों संबन्धित अपीलों को उदभूत करने वाले तथ्यों को संक्षिप्त मे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: दर्शन सिंह, प्रकरण संख्या 11 में अपीलार्थी और अतर सिंह, जो प्रकरण संख्या 12 में अपीलार्थी हैं, पर तीन अन्य व्यक्तियों के साथ विशेष मजिस्ट्रेट, अंबाला, पूर्वी पंजाब, मे भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 3/10 पूर्वी पंजाब सूती कपड़े और सूत (आंदोलन का विनियमन) आदेश, 1947, और आवश्यक आपूर्ति अधिनियम, 1946 की धारा 7 के आरोप मे मुकदमा चलाया गया। इनमें से तीन अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक आपूर्ति अधिनियम की धारा 8 के तहत एक और आरोप था, दर्शन सिंह उनमें से एक हैं।

सभी अभियुक्तगण के खिलाफ साररूप मे आरोप था कि उन्होंने 26 मई, 1948 की सुबह वाघा के पास सीमा शुल्क अवरोध के माध्यम से तस्करी करके मिल से बने कपड़े के 76 थैले बिना अनुज्ञप्ति के पाकिस्तान को निर्यात करने की साजिश रची। वाघा अमृतसर से लगभग 18 मील की दूरी पर है और इस स्थान से लगभग आधा मील की दूरी पर वास्तविक भारत-पाकिस्तान सीमा है। सीमा शुल्क अवरोध और सीमा के बीच एक छोटी पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के लगभग सामने सीमा शुल्क कार्यालय है जो एक तम्बू में स्थित है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 26 मई, 1948 लगभग 7 एएम पर आरोपी राम सिंह के स्वामित्व के बड़ी मात्रा में मिल से बने कपड़े से भरा एक ट्रक वाघा के पास सीमा शुल्क अवरोध पर पहुंचा। एक अन्य आरोपी राजेंद्र सिंह, जो उस समय सीमा शुल्क पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी पर थे, ने ट्रक को गुजरने दिया और ट्रक पुलिस चौकी के किनारे सीमा शुल्क कार्यालय के पास रुका। जैसे ही ट्रक रुका, दर्शन सिंह, जो सीमा शुल्क अवरोधक के प्रभारी उपाधीक्षक थे, और अत्तार सिंह, जो अमृतसर में सीमा शुल्क निवारक अधिकारी थे और तब कहीं और स्थानांतरण आदेश के अधीन थे। पुलिस स्टेशन गया और उसके प्रभारी उप-निरीक्षक कुलराज से कहा कि वे लॉरी को उस रास्ते से सीमा से गुजरने दें। कुलराज ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और इसके बाद दर्शन सिंह और अत्तार सिंह दोनों सीमा शुल्क के तंबू में वापस चले गए। तब ट्रक को खाली किया गया और माल को बड़ी संख्या मे कुलियो को सुपुर्द किया गया जो माल को सीमा की तरफ ले जाने लगे। अत्तार सिंह

और राम सिंह दोनों द्वारा पीछा किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद, कैलाश चंद्र, अमृतसर के पुलिस उप-निरीक्षक जो उस समय तस्करी प्रकरणो की जांच और पड़ताल के लिए विशेष कर्तव्य पर थे,मोटर साइकिल पर उस स्थान पर पहुंचे और कुलराज द्वारा पूर्व की घटना के बारे मे सूचित किया गया। वह और कुलराज दोनों अपने मोटर साइकिल पर सीमा की ओर आगे बढ़े और जो कुली सामान ले जा रहे थे उनसे आगे निकले। कुलियो को घेर लिया गया और उन्हे अतर सिंह के साथ ही सीमा पर वापस लाया गया।

यद्यपि राम सिंह भागने में कामयाब रहा। कैलाश चंद्र ने घटना की एक रिपोर्ट इंदर सिंह को दी, जो तस्करी के मामलों से निपटने वाले विशेष पुलिस स्थापना दिल्ली का प्रमुख था। और एक विस्तृत जांच के पश्चात, पांचों अभियुक्तगण को मुकदमा चलाने के लिए भेजा गया। विचारण मजिस्ट्रेट ने उन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 3/10 पूर्वी पंजाब का सूती कपड़ा और सूत आदेश, 1947, के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। अत्तार सिंह को आवश्यक आपूर्ति अधिनियम की धारा 7 और दर्शन सिंह को उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया और उन दोनों मे से प्रत्येक को एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा, इन धाराओं के तहत कठोर कारावास की सजा पिछले आरोपों के साथ-साथ चलने की सुनाई गयी।

इस निर्णय के खिलाफ सभी अभियुक्तगण द्वारा अमृतसर में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की गई। अपील की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तगण को बरी कर दिया, लेकिन अन्य तीन, अतर सिंह, राम सिंह और दर्शन सिंह की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, हालांकि उनकी सजा कम कर दी गई थी। इसके बाद इन तीनों व्यक्तियों ने शिमला में पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग पुनरीक्षण याचिकाएं प्रस्तुत कीं, जिन्हें न्यायमूर्ति खोसला ने अकेले बैठकर सुना और निस्तारित किया। विद्वान न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया लेकिन संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत इस आधार पर एक प्रमाण पत्र प्रदान किया कि इन मामलों में संविधान के निर्वचन से संबन्धित विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। उक्त प्रमाण पत्र के बल पर ये दो अपीलें हमारे सामने आई हैं जो एक दर्शन सिंह द्वारा और दूसरी अतर सिंह द्वारा दायर की गई है। अभियुक्त राम सिंह द्वारा कोई अपील नहीं की गई।

श्री अच्युत राम जो अपीलार्थी सं. 11 की ओर से उपस्थित हुए ने इन अपीलों मे अंतर्वलित संवैधानिक बिन्दु को हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया और साररूप मे उनका तर्क यह है कि पूर्वी पंजाब के राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 नवंबर 1947 को पारित पूर्वी पंजाब कपास कपड़ा और सूत आदेश, 1947, और अभियुकगण के विरुद्ध जिन प्रावधानों के अधीन अभियोजन चलाया गया था वे जहां तक कि सीमा शुल्क सीमा

के पार निर्यात और आयात के मामलो पर कानून बनाने के लिए तात्पर्यित है, गवर्नर के प्राधिकार के परे थे, और परिणामस्वरूप उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के किसी अपराध के लिए अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्को की उचित सराहना के लिए भारत सरकार के अधिनियम, 1935 के साथ-साथ बाद के कई अधिनियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की प्रविष्टि संख्या 27 और 29 की सूची II के अधीन, "प्रांत के भीतर व्यापार और वाणिज्य और उत्पाद आपूर्ति और वस्तुओ का वितरण" प्रांतीय विषय थे, जबकि "सीमा शुल्क सीमा के पार आयात और निर्यात " सूची I की मद 19 मे विहित एक केंद्रीय विषय था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 102 ने केंद्र विधानमंडल को प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी। यदि गवर्नर-जनरल द्वारा एक घोषणा जारी की गई हो कि सामान्य तौर पर आपातकाल की स्थिति मौजूद है और इस तरह का कानून उक्त धारा की उप-धारा (4) के तहत उद्घोषणा के प्रभावी होने के 6 महीने की अवधि की समाप्ती पर प्रभावी नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन असाधारण शक्तियों को केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पिछले युद्ध की अवधि के दौरान ग्रहण किया गया था जब गवर्नर-जनरल द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रांतीय मामलों से निपटने के लिए भारत रक्षा नियम जारी किए गए थे। आपातकाल की घोषणा को गवर्नर-जनरल द्वारा 1 अप्रैल, 1946 को संविधान अधिनियम की धारा 102, खंड (3) के तहत रद्द कर दिया गया

था और रद्द का परिणाम यह था कि भारत रक्षा अधिनियम और भारत रक्षा नियम के आधार पर पारित सभी आदेश की क्रियान्विति दिनांक 30 सितंबर, 1946 के बाद बंद कर दी गयी। हालाँकि, उस समय देश की स्थिति सामान्य से बहुत दूर थी और यह आवश्यक समझा गया कि केंद्रीय विधानमंडल का वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए, ब्रिटिश संसद ने एक अस्थायी अधिनियम (9 और 10 जीईओ 6 अध्याय 39) पारित किया। जिसने भारतीय विधायिका को अधिनियम में विहित अवधि के दौरान कुछ विशेष प्रांतीय विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी। अधिनियम की धारा 2 का प्रावधान, जहाँ तक हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक है, निम्नानुसार थाः

> " (1) भारत शासन अधिनियम 1935 में किसी बात के होते हुए भी भारतीय विधानमंडल को इस अधिनियम की धारा 4 में विहित अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगीः
>
> (क) व्यापार और वाणिज्य (चाहे किसी प्रांत के भीतर हो या नहीं) में और सूती और ऊनी वस्त्रों, कागज, पेट्रोलियम उत्पाद, यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण।"

इस अधिकार से लैस, भारतीय विधानमंडल ने आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम 1946 पारित किया, जिसकी धारा 3 और 4 इस प्रकार है -

" 3. जहाँ तक की केंद्र सरकार को किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो, अधिसूचित आदेश द्वारा उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित और निषिद्ध करने का प्रावधान कर सकता है।

4. केंद्र सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि धारा 3 के तहत आदेश देने की शक्ति ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो जो इस निर्देश में निर्दिष्ट की जाए, द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है-:

(ख) ऐसी प्रांतीय सरकार या किसी प्रांतीय सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ऊपर उल्लिखित धारा 4 के तहत 20 दिसंबर, 1946 को जारी एक अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियां पंजाब के राज्यपाल को प्रत्यायोजित कर दीं। 15 नवंबर, 1947 को पूर्वी पंजाब के राज्यपाल ने उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वी पंजाब सूती कपड़े और सूत (आंदोलन का विनियमन)

आदेश, 1947 पारित किया और उक्त आदेश की धारा 2,3 और 10 हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। धारा 2 इस प्रकार है इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, (क) "निर्यात" का अर्थ पूर्वी पंजाब प्रांत या पूरे देश से रेल, सड़क या नदी द्वारा भारत डोमिनियन के किसी भी प्रांत या राज्य और पाकिस्तान तक ले जाना है और इसमे पूर्वी पंजाब प्रांत से किसी भी राज्य में स्थित किसी भी स्थान पर उक्त भूमि के साथ-साथ उक्त भूमि से बाहर स्थित स्थान पर ले जाना शामिल हैं

धारा 3 इस प्रकार ह

जारी किए गए परमिट की शर्तों के अनुसार कोई भी व्यक्ति सूती कपड़े या धागे का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास नहीं करेगा, सिवाय प्राधिकार और अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की शर्तो के। अनुज्ञप्ति इस आदेश के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप IV में होगी।

धारा 10 प्रावधान करती हैः

" यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा जो 3 साल तक का हो सकता है, जुर्माने या दोनों के साथ और किसी अन्य सामान्य दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस तरह के उल्लंघन का विचारण करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है, यह निर्देश दे सकता है कि कोई

भी सूती कपड़ा और धागा जिसके संबंध में न्यायालय संतुष्ट है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। ऐसे कपड़े के आवरण और पैकिंग करना महामहिम के लिए जब्त कर लिया जाएगा।

हमारे विचार के लिए बिन्दु यह है कि क्या उपरोक्त प्रावधान जो बिना अनुज्ञप्ति के भारत के बाहर किसी भी देश को कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं और ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध बनाते हैं, राज्यपाल द्वारा आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 4 के तहत उन्हें प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैध रूप से बनाए गए थे?विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव नहीं दिया गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम की धारा 4 के तहत पूर्वी पंजाब के राज्यपाल को अपनी शक्तियां सौंपने में कुछ भी अनुचित था। उनका तर्क है कि राज्यपाल ने भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सूती कपड़े और धागे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देते समय अपने प्रत्यायोजित अधिकार से परे कार्य किया। यह कहा जाता है कि निर्यात और आयात के मामले आवश्यक आपूर्ति अधिनियम की धारा 3 के दायरे में नहीं थे और धारा 4 के तहत अधिसूचना केवल राज्यपाल को ऐसी शक्तियां सौंप सकती थी जो केंद्र सरकार स्वयं धारा 3 के तहत प्रयोग कर सकती थी। यह सच है की आवश्यक आपूर्ति अधिनियम की धारा 3, केंद्र सरकार को अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण

को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने के लिए प्रावधान करने के लिए अधिकृत करती है और इसमें व्यापार और वाणिज्य भी है लेकिन विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जैसा कि धारा में उपयोग किया गया है, "व्यापार और वाणिज्य" का अर्थ किसी प्रांत के भीतर या प्रांतों के बीच व्यापार और वाणिज्य के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भारत के बाहर माल निर्यात करने के माध्यम से कोई लेनदेन शामिल नहीं हो सकता है। यह व्याख्या, जैसा कि हमें प्रतीत होता है, कुछ हद तक सीमित है, दोहरे तर्क द्वारा समर्थित होने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले, यह कहा जाता है कि आवश्यक आपूर्ति अधिनियम, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से पता चलता है, अधिनियम, 1946 (9 और 10 जी. ई. ओ. 6, सी 39) भारत (केंद्र सरकार और विधानमंडल) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय कानून द्वारा पारित किया गया था ।

केंद्रीय भारतीय विधानमंडल को कुछ प्रांतीय मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केवल थोड़े समय के लिए प्रदान की गई थी, जो वह युद्ध की समाप्ति पर आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने के बाद नहीं कर सका था इसलिए यह कहा जाता है कि आवश्यक आपूर्ति अधिनियम विशेष रूप से प्रांतीय मामलों से निपटने के लिए है, और भारतीय क्षेत्र के बाहर वस्तुओं के आयात और निर्यात, एक केंद्रीय विषय होने के कारण, उचित रूप से अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में दूसरा तर्क यह है कि आवश्यक आपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों

के भीतर निर्यात और आयात को शामिल नहीं करने का केंद्रीय कानून का इरादा इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि केंद्रीय विधानमंडल ने वस्तुओं का निर्यात और आयात अलग अलग और अधिनियमो के एक पूरी तरह से अलग सेट द्वारा किया जाता है जो आवश्यक आपूर्ति अधिनियम और उसके पहले के समान प्रकार के अन्य कानूनों के साथ साथ मौजूद थे। यह ध्यान मे लाया गया है कि 3 नवंबर, 1945 को भारत के रक्षा नियमों के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं के विभिन्न विवरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का एक आदेश दिया गया था (आदेश संख्या 91 सी डब्ल्यू (1) 45) भारत रक्षा नियम 30 सितंबर, 1946 को समाप्त होने वाले थे। 25 सितंबर, 1946 को आवश्यक आपूर्ति अध्यादेश पारित किया गया था और बाद में इसे आवश्यक आपूर्ति अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिस दिन यह अध्यादेश पारित किया गया था, एक और अध्यादेश, अध्यादेश संख्या XX/1946 जारी किया गया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ आयात और माल के पूर्व बंदरगाह के निषेध और प्रतिबंध से संबंधित भारत रक्षा नियमों के प्रावधानों को कम कर दिया था। इसके बाद 25 मार्च, 1947 को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम पारित किया गया, जो निर्यात और आयात पर नियंत्रण के उप-क्षेत्र से व्यापक रूप से संबंधित था। चूँकि यह मान लेना अस्वाभाविक होगा कि विधायिका एक ही विषय पर एक साथ मौजूद कानून के दो समानांतर सेटों द्वारा एक साथ कानून बना रही थी, यह तर्क दिया जाता है कि वस्तुओं का निर्यात और आयात आवश्यक आपूर्ति अधिनियम के पारिधि और आशय के भीतर नहीं था।

यद्यपि ये तर्क पहली नज़र में कुछ हद तक प्रशंसनीय हैं, हमें ठोस और विश्वसनीयनहीं लगता है। यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा विधायिका के इरादे का सही निक्षेपागार है, और किसी कानून में आने वाले शब्दों और वाक्यांशों को संदर्भ से अलग करके अलग अलग तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि उन्हे अधिनियम के उद्देश्य और अंतर्वस्तु के आलोक मे साथ मे लिया जाना चाहिए।

आवश्यक आपूर्ति अधिनियम का उद्देश्य; जैसा कि प्रस्तावना में निर्धारित किया गया है, एक सीमित अवधि के दौरान, खाद्य पदार्थों, कपास और ऊनी वस्त्रों, पेट्रोलियम, लोहे और अन्य आवश्यक वस्तुओ जिनकी एक सूची अधिनियम में दर्शित है के व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने की शक्ति का प्रावधान करना था, और धारा 3, जो अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, केंद्र सरकार को किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए जब भी आवश्यक और समीचीन समझे, अधिसूचित आदेश द्वारा उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरणया व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान करने के लिए अधिकृत करती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और संदर्भ के आलोक में "व्यापार और वाणिज्य" शब्दों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शब्दों को

उनके सामान्य या स्वाभाविक अर्थों में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए और पड़ोसी विदेशी राज्य सहित किसी प्रांत के बाहर किसी भी स्थान पर माल के निर्यात पर प्रतिबंध को उनके दायरे और दायरे से बाहर क्यों माना जाना चाहिए। आपूर्ति के रखरखाव या वृद्धि के लिए एक प्रांत के भीतर आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रांत के बाहर माल के निर्यात को प्रतिबंधित करना निश्चित रूप से आवश्यक हो सकता है, और पूर्वी पंजाब की सीमाओं से सटे एक विदेशी राज्य होने के नाते, पूर्वी पंजाब के राज्यपाल के लिए पाकिस्तान का उल्लेख उन स्थानों में से एक के रूप में करना स्वाभाविक था जहां उनके प्रांत से माल के निर्यात की अनुमति उचित अनुज्ञप्ति के बिना नहीं दी जानी चाहिए। जैसा की इस विधान का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लिए आवश्यक समझी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण बनाए रखना था और चूंकि ये प्रांतीय विषय हैं, इसलिए इन पर कानून बनाने मे केंद्रीय विधानमंडल को अधिनियम, 1946 (9 और 10 जी. ई. ओ. 6 सी 39) भारत (केंद्र सरकार और विधानमंडल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। ऊपर कहा गया है; और यही स्पष्ट रूप से कारण है कि प्रस्तावना के दूसरे पैराग्राफ में उस क़ानून का संदर्भ दिया गया था लेकिन इससे यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि केंद्रीय विधानमंडल केवल ब्रिटिश संसद से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके कानून बना रहा था और यह कि उसने उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जो भारत सरकार अधिनियम के तहत उसके

पास थीं। यह विवादित नहीं है कि केंद्रीय विधानमंडल निर्यात और आयात पर कानून बनाने और संबंधित कोई प्रावधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था जो केंद्रीय विषय हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने अपने प्राधिकार से परे कार्य किया है। यहां तक कि कानून को विशुद्ध रूप से माल के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति के प्रांतीय विषयों पर लेते हुए भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के लिए सहायक के रूप में निर्यात पर प्रतिबंध, हमारी राय में ऐसे कानून के परिधि और दायरे में होगा तथा सार और तत्वरूप में यह विशेष रूप से इन प्रांतीय मामलों से संबन्धित एक अधिनियम होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री अचरु राम द्वारा दिया गया दूसरा तर्क भी बिना किसी तथ्य के पाया गया। आयात और निर्यात अधिनियम या पूर्व आदेश और अध्यादेश जिसका उल्लेख विद्वान वकील ने किया था, अनिवार्य रूप से निर्यात और आयात के विषय पर कानून थे। उनका उद्देश्य आम तौर पर आयात और निर्यात को विनियमित या नियंत्रित करना था और वे आवश्यक आपूर्ति अधिनियम में सूचीबद्ध वस्तुओं की तुलना मे कई अधिक विविध प्रकार की वस्तुओ से निपटते थे। आयात और निर्यात अधिनियम का उद्देश्य समुदाय के लिए आवश्यक समझी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को विनियमित करना नहीं था। और यह उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के साधन के रूप में नहीं था जिसका उद्देश्य माल के निर्यात को वर्जित या प्रतिबंधित करने के लिए तात्पर्यित था। इस प्रकार कानून के दो सेटों का क्षेत्र और उद्देश्य पूरी तरह से अलग थे और अगर वे एक ही समय में

साथ-साथ मौजूद थे और साथ में थे तो इसमे कुछ भी गलत नहीं था। हमें यह नहीं बताया गया है कि इन दोनों कानूनों के प्रावधानों के बीच कोई ओवरलेपींग थी। चूंकि प्रावधानों के इन दोनों सेटों को अधिनियमित करने की विधायिका की क्षमता विवादित नहीं है। हमें नहीं लगता कि कोई भी सामयिक ओवरलेपींग, भले ही इसका अस्तित्व मान लिया जावे, बिलकुल भी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए, हमारी राय मे, इन अपीलों मे अंतर्वलित संवैधानिक बिंदु के संबंध में उठाए गए तर्क असमर्थनीय हैं और उन्हे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

चूंकि संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के तहत दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर हमारे समक्ष अपीलें आई हैं, इसलिए अपीलकर्ता उस आधार के अलावा अन्य आधार पर संविधान के अनुच्छेद '132 के खंड (3) द्वारा उपबंधित अनुमति के बिना निर्णय के औचित्य को चुनौती देने के हकदार नहीं हैं, जिस पर प्रमाण पत्र दिया गया है। ऊपर निर्दिष्ट संवैधानिक बिंदु के संबंध में पक्षकारों द्वारा दिये गए तर्को के अंत में हमने दोनों अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को स्पष्ट कर दिया कि हम मामलों के गुणावगुण से संबंधित किसी भी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देंगे-जो केवल नीचे की अदालतों द्वारा साक्ष्य के वियोचन पर आधारित हो। श्री उमरीगर, जो प्रकरण संख्या 12 में अपीलकर्ता अत्तार सिंह की ओर से पेश हुए, ने हालांकि हमसे कहा कि वह एक महत्वपूर्ण मामले को हमारे संज्ञान में लाने के लिए अनुमति चाहते हैं। उनके अनुसार कम से कम

जहां तक उनके मुवक्किल का संबंध था, न्याय की गंभीर विफलता हुई। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश दोनों ने उनके मुवक्किल के खिलाफ मामले का फैसला करते समय कथित तौर पर इस स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया की वह घटना के दिन सुबह वाघा में सीमा शुल्क अवरोध पर मौजूद था। वह अमृतसर से गुरदासपुर स्थानांतरण होने से सीमा शुल्क कर्मचारियों को अलविदा कहने के लिए वहाँ गया था।विद्वान वकील द्वारा कहा गया है कि उनके मुवक्किल ने 26 मई, 1948 की सुबह सीमा शुल्क अवरोधक पर अपनी उपस्थिति को न तो कभी स्वीकार किया और न ही उन्हे वहाँ उनकी उपस्थिति के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण देने के लिए अवसर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि पूरी बात सरासर गलतफहमी पर आधारित है और किसी भी चीज से इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपने सम्मानजनक निर्णयों में अतर सिंह की कथित स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया था और मामले में

अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए उसी पर भरोसा किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहाः

" अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति आरोपी अत्तार सिंह है। वह उस सुबह बैरियर पर अपनी उपस्थिति स्वीकार करता है, जब वह कहता है कि वह गुरदासपुर में अपने स्थानांतरण पर सीमा शुल्क कर्मचारियों को अलविदा कहने गया था। उसके अनुसार उसके द्वारा ली गई छुट्टी के कारण उसे 28

तारीख तक अमृतसर में रहना था और अपनी पत्नी की बीमारी को देखते हुए उसे इस उद्देश्य के लिए इतनी जल्दी बैरियर पर जाने की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हूँ।'

उच्च न्यायालय ने उक्त स्वीकारोक्ति का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" अतर सिंह ने स्वीकार किया कि वह उस सुबह बैरियर पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वह यह था। उनका कार्यालय अमृतसर में है लेकिन उन्हें गुरदासपुर में स्थानांतरण के आदेश प्राप्त हुए थे। उनकी पत्नी बीमार थीं और इसलिए वे तुरंत चल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया और 26 मई की सुबह सीमा शुल्क विभाग में अपने सहयोगियों को अलविदा कहने के लिए बैरियर पर गए और जब वे वहां थे तो यह घटना उनकी जानकारी के बिना हुई....। घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति के बारे में अतर सिंह का स्पष्टीकरण मुझे बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं करता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत आरोपी अत्तार सिंह की परीक्षा के दौरान विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष उनसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या वह 26 मई, 1948 को घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। यद्यपि यह अभिकथन किया गया था कि वह छुट्टी पर थे। इस सवाल का उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि जैसा कि आरोप लगाया गया है वह वहाँ उपस्थित नहीं थे।

अभिलेख की इस स्थिति में, हमने पूर्वी पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान महाधिवक्ता से पूछा कि अतर सिंह द्वारा ऊपर उल्लिखित स्वीकारोक्ति कब और कैसे किया गया था। महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि स्वीकारोक्ति लिखित बयान में हो सकती है जिसे अतर सिंह ने कहा था कि जब उनसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत पूछताछ की जाएगी तो वह दाखिल करेंगे। मामले को स्पष्ट करने के लिए हमने मामले की आगे की सुनवाई स्थगित कर दी थी ताकि महाधिवक्ता हमारे सामने विचारण न्यायालय में अत्तार सिंह द्वारा दायर लिखित बयान, यदि कोई हो, पेश कर सकें। 26 नवम्बर को मामले को फिर से सुनवाई मे लिया गया। महाधिवक्ता ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि अत्तार सिंह का कोई लिखित बयान रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि दोनों न्यायालयों ने अपने निर्णयो मे अभियुक्त के अपराध के संबंध में काफी हद तक अत्तार सिंह की तथाकथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया गया था, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। महाधिवक्ता का तर्क है कि भले ही इस संबंध में निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि की गई हो, फिर भी हमें अपील को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि अतर सिंह के तथाकथित स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से अभियुक्त की दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और उन्होंने हमें स्वयं साक्ष्य की जांच करने और इस मुद्दे पर अपने निर्णय पर आने के लिए आमंत्रित किया। जिन मामलों में इसे आवश्यक माना जा सकता है, वहां इस प्रकरण के प्रक्रम को अपनाने के अपने अधिकार को किसी भी तरह से लागू किए बिना, हम सोचते हैं कि वर्तमान

मामले की परिस्थितियों में उचित आदेश सत्र न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर अपील की पुनः सुनवाई का निर्देश देना होगा क्योंकि यह वास्तव में अत्तार सिंह के कथित स्वीकारोक्ति को विचार से बाहर करने के बाद आता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कथित स्वीकारोक्ति बहुत हानिकारक प्रकर्ति की थी और अभियुक्त के लिए अत्यधिक प्रतिकूल थी। निचले न्यायालयों में न्यायाधीशों के दिमाग पर इसके प्रभाव को महत्व देना काफी समस्याग्रस्त है और हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि यदि इसे विचार से बाहर रखा गया होता तो न्यायालय अपराध के समान निर्णय पर आती या इसके विपरीत बरी होना एक विकृत कार्य होता। ऐसे मामलो मे इस न्यायालय का कार्य जो आपराधिक अपील का एक सामान्य न्यायालय नहीं है, अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का पता लगाने के लिए साक्ष्य को फिर से तौलने और मूल्यांकन करने के लिए इतना नहीं है कि यह देखा जा सके कि अभियुक्त उचित साक्ष्य पर निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त कर सके।

श्री अछरू राम द्वारा यह तर्क दिया गया है और हमारी राय में यह बिलकुल सही है की अगर अत्तार सिंह के मामले की नए सिरे से सुनवाई करनी है तो दर्शन सिंह के मामले में भी यही आदेश दिया जाना चाहिए। दोनों मामले न केवल आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि जहां तक दर्शन सिंह का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए सबूत पेश करके इस मामले में उसकी संलिप्तता स्थापित कर सके कि जब दोनों ने पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी कुलराज से संपर्क किया और उससे ट्रक

को गुजरने देने का अनुरोध किया तो वह अत्तार सिंह के सहयोगी थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में माना कि दर्शन सिंह का एकमात्र उद्देश्य अपने सहयोगी अतर सिंह की मदद करना था, जो जिला छोड़ने वाले थे। इसलिए यह आवश्यक है कि दर्शन सिंह के मामले की भी फिर से सुनवाई की जाए और उनके खिलाफ पूरे साक्ष्य पर पुनर्विचार किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह दोषी है या निर्दोष।

इसलिए परिणामस्वरूप दोनों अपीले स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को अपास्त किया जाता है और मामलों को सत्र न्यायालय इस आदेश के साथ प्रेषित किया जाता है कि अतर सिंह की कथित स्वीकारोक्ति को विचार से बाहर करने के बाद ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर नए सिरे से सुनवाई की जा सके।

सत्र न्यायालय का निर्णय लंबित होने तक अभियुक्त पहले की शर्तों पर ही जमानत पर रहेगा।

अपील स्वीकार की गई।

प्रकरण सं. 11 के अपीलार्थी के लिए अभिकर्ता: नौनीत लाल

प्रकरण सं. 12 के अपीलार्थी के लिए अभिकर्ताः ए. डी. माथुर

प्रत्यर्थी और हस्तक्षेपकर्ता के लिए अभिकर्ताः जी. एच. राजाध्यक्ष

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेन्स टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इंसाफ खान (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।